भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 418
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर फसलें और पैनलबद्ध कंपनियां

418. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कवर फसलों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) फसल बीमा के लिए सरकार द्वारा पैनलबद्ध/सूचीबद्ध कंपनियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) गत पाँच वर्षों के दौरान किसानों से संग्रहीत फसल बीमा प्रीमियम का वर्ष-वार, राज्य-वार तथा कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) गत पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल हानि के लिए किसानों को प्राप्त क्षतिपूर्ति का विशेषकर महाराष्ट्र में वर्ष-वार, राज्य-वार, और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विभिन्न राज्यों में फसल बीमा के लिए प्रीमियम राशि तथा क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने वाले मानदंडों/पहलुओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट्स और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि फसल कटाई प्रयोगों (CCE) पर आधारित अपेक्षित वर्षों के पिछले उपज संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता हो और साथ ही राज्य सरकार के पास अपेक्षित संख्या में CCE करने या दावों की गणना के लिए फसल की उपज का आकलन करने वाले यस-टेक (**प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली**) अपनाने की क्षमता हो। हालांकि, संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट फसल अधिसूचित की जाती है।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फसलों के लिए, संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके तहत दावों का भुगतान मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित की जा रही फसलों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): वर्तमान में, सभी 5 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अतिरिक्त, देश में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 15 निजी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के लिए कंपनी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों की सूची में से किया जाता है। वर्तमान में PMFBY के कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध बीमा कंपनियां निम्नलिखित हैं:

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ	
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ	
6.	बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8.	फ्यूचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अब जेनरली सेंट्रल के नाम से जानी जाती है)
9.	एचडीएफसी-ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10.	आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11.	आईएफएफसीओ-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अब इसका नाम बदलकर इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नाम से जानी जाती है)
13.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15.	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
17.	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
18.	गो-डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19.	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
20.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

(ग) से (घ): इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान किसानों से एकत्रित प्रीमियम और किसानों को भुगतान किए गए दावों का वर्षवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रीमियम में किसानों के हिस्से और किसानों को भुगतान किए गए दावों का बीमा कंपनीवार और वर्षवार विवरण तथा महाराष्ट्र में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान प्रीमियम में किसानों के हिस्से और भुगतान किए गए दावों का बीमा कंपनीवार विवरण क्रमशः **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ): PMFBY के तहत, बीमा कंपनियों द्वारा बीमांकिक/बिडेड प्रीमियम दरें वसूल की जाती हैं।

यह योजना मुख्य रूप से 'क्षेत्रीय दृष्टिकोण' के आधार पर लागू की जाती है। वास्तविक उपज का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों (CCE) और यस-टेक के तहत प्रौद्योगिकी-आधारित उपज अनुमान (जहां भी लागू हो) के आधार पर किया जाता है। इसके बाद, योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दिए गए फॉर्मूला के अनुसार, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर वास्तविक उपज में कमी और निर्धारित सीमा के बीच तुलना के आधार पर सीजन के अंत में दावों की गणना की जाती है। नामांकित किसान को दावा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने एवं प्राकृतिक आग जैसे स्थानीय जोखिमों से होने वाले नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। ऐसे मामलों में नुकसान की सीमा और दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है।

अनुबंध- I

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा PMFBY/RWBCIS के तहत अधिसूचित की जा रही फसलों का राज्यवार विवरण (दिनांक 30.06.2026 तक)।		
PMFBYऔर RWBCIS को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अधिसूचित खरीफ फसलें**	**अधिसूचित रबी फसलें**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	धान	भिंडी, बैंगन, मूंग, लोबिया, टमाटर,
आंध्र प्रदेश	एसिड लाइम, केला, उड़द, अरंडी (रेहड़ी, रेंडी, अरंडी), कपास, फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), मूंग, मूंगफली, कोर्रा, मक्का, मोसंबी (मीठा नारंगी), प्याज, धान, पर्ल मिलेट (बाजरा), अरहर (लाल चना/अरहर/तुअर), अनार, लाल मिर्च, सिसमे (जिन्जेली/तिल)/सेसम, सोरघम (ज्वार/बाजरा), टमाटर, हल्दी,	चना, उड़द, काजू, रागी, मूंग, मूंगफली, मक्का, आम, प्याज, धान, राजमा, लाल मिर्च, सिसमे (जिन्जेली/तिल)/सेसम, ज्वार, सूरजमुखी और टमाटर।
असम	उड़द, जूट, मक्का, धान,	मक्का, सरसों, धान, आलू, गन्ना,
छत्तीसगढ	केला, उड़द, बैंगन, मिर्च, फिंगरमिलेट (रागी/मंडिका), अदरक, मूंग, मूंगफली, अमरूद, कोदो बाजरा (कोडारा/वरगु), लिटिल मिलेट (समई/कुटकी/कोदो-कुटकी), मक्का, धान, पपीता, अरहर (लाल चना/अरहर/तुअर), सोयाबीन (भट), टमाटर,	चना, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी, अलसी, सरसों, प्याज, आलू, टमाटर, गेहूं
गोवा	धान, गन्ना	मूंगफली, धान, दलहन,
हरियाणा	कपास, मूंग, मक्का, धान, पर्ल मिलेट (बाजरा),	जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी, गेहूं
हिमाचल प्रदेश	पत्तागोभी, शिमला मिर्च, फूलगोभी, अदरक, मक्का, धान, मटर, आलू, टमाटर,	सेब, जौ, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फूलगोभी, सिट्रस, लहसुन, अमरूद, लीची, आम, मटर, आड़ू, प्लम, अनार, आलू, टमाटर, गेहूं
जम्मू और कश्मीर	मक्का, धान	सरसों, गेहूं,
झारखंड	मक्का, धान	चना, सरसों, आलू, गेहूं

कर्नाटक	एसिड लाइम, सुपारी, पान, उड़द, पत्ता गोभी, फूलगोभी, मिर्च, कपास, लोबिया, रागी, कंगनी, अदरक, अंगूर, मूंग, मूंगफली, कुल्थी/कुल्था, मक्का, आम, प्याज, धान, पपीता, पर्ल मिलेट, काली मिर्च, अरहर, अनार, आलू, लाल मिर्च, सावे, तिल, सोरघम (ज्वार), भट, सूरजमुखी, टमाटर, हल्दी।	चना, उड़द, फूलगोभी, मिर्च, फिंगरमिलेट (रागी/मंडिका), मूंग, मूंगफली, कुल्थी/कुल्था, अलसी, मक्का, प्याज, धान, आलू, कुसुम (कुसुम/करदी), सोरघम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सूरजमुखी, टमाटर, गेहूं
केरल	सुरनकंद, सुपारी, पेठा, केला, पान, भिंडी, करेला, उड़द, पत्ता गोभी, इलायची, गाजर, काजू, मिर्च, लौंग, कोको, नारियल, अरबी/अरवी, लोबिया, खीरा, फ्रेंच बीन्स/हिल्स, लहसुन, अदरक, ग्रेटर याम, मूंग, मूंगफली, राफुला, आम, जायफल, धान, मटर, काली मिर्च, अनानास, आलू, कद्दू, रबर, सिसमे (जिंजेली/तिल) तिल, स्नैक गौर्ड, ज्वार, गन्ना, शकरकंद, टैपिओका, चाय, टमाटर, हल्दी, यार्ड लॉन्ग बीन,	सुरनकंद, सुपारी, पेठा, केला, पान, भिंडी, करेला, उड़द, पत्ता गोभी, इलायची, गाजर, काजू, मिर्च, लौंग, कोको, नारियल, कॉफी, अरबी/अरवी, लोबिया, खीरा, रागी/मंडिका, फॉक्सटेल, फ्रेंच बीन/हिल्स, लहसुन, अदरक, ग्रेटर यम, मूंग, मूंगफली, राफुला, लिटिल मिलेट (समई/कुटकी/कोदो), आम, जायफल, धान, मटर, काली मिर्च, अनानास, आलू, कद्दू, रबर, सिसमे (जिंजेली/तिल) तिल, स्नैक गौर्ड, ज्वार, सोयाबीन, गन्ना, शकरकंद, टैपिओका, चाय, टमाटर, हल्दी, यार्ड लॉन्ग बीन
मध्य प्रदेश	उड़द, कपास, मूंग, मूंगफली, लिटिल मिलेट (समाई/कुटकी/कोदो-कुटकी), मक्का, धान, पर्ल मिलेट (बाजरा), अरहर (लाल चना/अरहर/तुअर), तिल (जिंजली/तिल)/सीसम, ज्वार (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सोयाबीन (भट),	चना, मसूर, अलसी, सरसो, गेहूं,

महाराष्ट्र	उड़द, कपास, कस्टर्ड एप्पल, फिंगरमिलेट (रागी/मंडिका), अंगूर, मूंग, मूंगफली, अमरूद, नींबू, मक्का, मोसंबी (मीठा नारंगी), रामतिल, प्याज, संतरा, धान, पर्ल मिलेट (बाजरा), अरहर (लाल चना/अरहर/तुअर), अनार, चीकू, तिल (जिंजेली/तिल)/सीसम, सोरघम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सोयाबीन (भट)	केला, चना, काजू, अंगूर, मूंगफली, आम, मौसंबी, प्याज, संतरा, धान, पपीता, अनार, ज्वार, स्ट्रॉबेरी, गेहूं।
मणिपुर	पत्तागोभी, धान	पत्ता गोभी, सरसों,
मेघालय	अदरक, धान	धान
मिजोरम	मिर्च, अदरक, धान	बैंगन, पत्ता गोभी,
ओडिशा	कपास, फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), अदरक, मूंगफली, मक्का, धान, अरहर, हल्दी	उड़द, मूंग, मूंगफली, सरसों, प्याज, धान, आलू, गन्ना, सूरजमुखी
पुदुचेरी	केला, धान	केला, उड़द, कपास, मूंग, मूंगफली, धान, गन्ना
राजस्थान	उड़द, अरंडी (रेहड़ी, रेंडी, अरंडी), मिर्च, कपास, लोबिया, खजूर, मूंग, मूंगफली, ग्वार, स्क्वैश (टिंडा/राउंड मेलन), किन्नू, मक्का, मेहंदी, मोठ, प्याज, संतरा, धान, पर्ल मिलेट (बाजरा), अरहर (लाल/अरहर/तुअर), अनार, सिसमे (जिंजली/तिल), सोरघम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), भट, टमाटर।	आंवला, जौ, चना, बैंगन, फूलगोभी, धनिया, जीरा, सौंफ, लहसुन, अमरूद, इसबगोल, नींबू, लेंटिल (मसूर), मक्का, आम, मेथी, सरसों, प्याज, मटर, आलू, तारामीरा, टमाटर, तरबूज, गेहूं।
सिक्किम	उड़द, बकव्हीट (कस्पट), फिंगरमिलेट (रागी/मंडिका), अदरक, मक्का, धान और सोयाबीन (भट)	जौ, बकव्हीट, सरसों, आलू, गेहूं

तमिलनाडु	केला, भिंडी, उड़द, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर, कपास, लोबिया, फिंगरमिलेट (रागी/मंडिका), लहसुन, अदरक, मूंग, मूंगफली, कुलथी, लिटिल मिलेट (समई/कुटकी/कोदो-कुटकी), मक्का, प्याज, धान, बाजरा, अरहर (लाल, अरहर, तुअर), आलू, सिसमे (जिंजली/तिल) तिल, सोरघम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), टैपिओका, टमाटर, हल्दी।	केला, चना, भिंडी, उड़द, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर, धनिया, कपास, लोबिया, फिंगरमिलेट (रागी/मंडिका), लहसुन, अदरक, मूंग, मूंगफली, मक्का, प्याज, धान, बाजरा, अरहर (लाल, अरहर, तुअर), आलू, लाल मिर्च, तिल, ज्वार, सोरघम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), गन्ना, सूरजमुखी, टैपिओका, टमाटर।
त्रिपुरा	धान	बैंगन, फूलगोभी, धान, आलू, टमाटर, तरबूज
उत्तर प्रदेश	केला, उड़द, मिर्च, मूंग, मूंगफली, मक्का, धान, पर्ल मिलेट (बाजरा), अरहर (लाल चना/अरहर/तुअर), तिल (जिंजली/तिल)/सीसम, सोरघम (ज्वार/बड़ा बाजरा), सोयाबीन (भट)	जौ, चना, शिमला मिर्च, मसूर, अलसी, आम, सरसों, मटर, आलू, टमाटर, गेहूं
उत्तराखंड	मिर्च, फिंगरमिलेट (रागी/मंडिका), फ्रेंच बीन्स-हिल्स, अदरक, धान, आलू, टमाटर	सेब, सिट्रस, कीवी, मसूर, लीची, आम, मटर, आड़ू, आलू, टमाटर, गेहूं

अनुबंध- II

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक (दिनांक 30.06.2026 तक) PMFBY और RWBCIS के तहत किसानों के प्रीमियम हिस्से और भुगतान किए गए दावों का वर्षवार और राज्यवार विवरण।

राज्य	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
	(करोड़ रुपये में)									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	-	0.00	-	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	-
आंध्र प्रदेश			-	613.89	-	197.46	37.64	164.37	109.22	0.99
असम	0.18	256.42	4.38	21.15	5.68	64.67	8.69	95.63	10.22	29.60
छत्तीसगढ़	186.09	1,432.02	212.39	534.31	219.90	593.37	225.05	271.70	229.41	211.08
गोवा	0.00	-	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
हरियाणा	313.84	1,650.97	345.03	2,529.44	154.92	284.60	281.22	385.52	260.70	918.21
हिमाचल प्रदेश	26.02	77.79	27.07	68.15	37.61	147.61	39.50	85.70	27.31	0.06
जम्मू और कश्मीर	6.58	52.72	6.90	6.34	16.70	35.16	11.07	26.56	19.30	51.61
झारखंड							0.29	19.39	0.21	-
कर्नाटक	250.59	1,547.02	324.29	2,389.38	373.21	3,374.46	418.48	3,164.51	482.94	1,104.38
केरल	7.40	102.21	10.43	182.60	11.65	174.81	14.17	4.28	13.99	0.29
मध्य प्रदेश	814.79	2,811.56	670.04	1,051.81	653.98	967.99	662.76	1,302.86	676.06	239.95
महाराष्ट्र	***662.40***	***4,709.15***	***901.39***	***5,446.92***	***194.59***	***9,607.55***	***166.29***	***6,217.98***	***732.91***	***1,556.52***
मणिपुर	0.34	1.45	0.44	1.64	0.52	2.00	0.52	1.68	0.47	-
मेघालय			0.04	0.01	0.01	14.51	0.01	9.52	0.01	14.42
मिजोरम									0.02	-
ओडिशा	135.26	1,043.63	132.31	583.67	12.58	234.75	12.03	181.26	7.95	3.53
पुदुचेरी	0.03	2.95	0.01	3.75	0.00	4.26	0.00	10.04	0.00	0.02
राजस्थान	823.80	5,011.50	839.00	4,496.49	1,021.12	4,327.51	989.74	2,235.72	977.13	2,117.95
सिक्किम	0.08	-	0.15	-	0.06	0.30	0.06	0.01	0.09	0.01
तमिलनाडु	166.92	817.24	161.88	921.51	149.35	762.90	155.75	856.59	172.27	237.26
त्रिपुरा	0.37	2.64	0.44	2.08	0.57	1.95	0.40	0.52	0.59	0.01
उत्तर प्रदेश	294.88	930.76	289.25	987.31	288.04	475.98	259.71	435.14	295.41	842.48
उत्तराखंड	39.05	122.30	55.25	207.76	63.32	348.17	66.48	358.59	100.32	60.78
कुल	**3,728.64**	**20,572.34**	**3,980.69**	**20,048.23**	**3,203.81**	**21,620.04**	**3,349.86**	**15,827.60**	**4,116.51**	**7,389.14**

अनुबंध- III

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक (दिनांक 30.06.2026 तक) PMFBY और RWBCIS के तहत किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और दावों में हिस्सेदारी का वर्षवार और बीमा कंपनीवार विवरण।

बीमा कंपनी	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
	(करोड़ रुपये में)									
एआईसी	1,733.32	9,760.47	1,805.97	9,671.34	1,548.97	7,536.78	1,603.71	6,672.64	2,082.84	4,153.50
बजाज जनरल	274.35	1,734.13	379.22	1,897.83	115.57	852.20	132.35	253.45	150.73	179.33
भारती एएक्सए	66.62	481.64								
चोला एमएस					0.18	413.18	0.18	226.99		
जेनरली सेंट्रल	113.73	724.26	124.51	397.68	31.61	196.19	45.77	95.07	25.21	6.37
एचडीएफसी एर्गो	372.31	1,755.70	386.28	1,448.70	256.58	1,683.68	280.48	1,321.50	301.17	519.84
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	22.40	90.75	141.76	580.19	0.18	775.47	5.75	745.23	173.28	20.51
आईएफएफसीओ टोक्यो	157.65	1,038.25	76.37	216.83	257.70	944.32	174.28	851.06	230.66	634.02
इंडसइंड जनरल	505.07	2,683.72	467.90	2,037.19	343.22	2,219.94	307.98	661.10	317.04	557.09
क्षेमा जनरल					201.15	690.55	200.10	595.62	161.23	155.58
राष्ट्रीय	0.13	2.95	0.16	3.75	0.06	0.30				
ओरिएंटल					0.47	3,433.84	115.17	1,591.12	104.22	392.54
एसबीआई जनरल	261.43	1,387.15	286.28	2,558.00	281.96	1,181.63	271.30	1,044.26	309.32	311.47
टाटा एआईजी					40.91	378.96	72.42	469.36	84.05	89.72
युनाइटेड इंडिया			77.23	540.52	0.18	484.19	0.16	415.42	1.66	-
यूनिवर्सल सोम्पो	221.63	913.31	235.02	696.20	125.07	828.80	140.22	884.80	175.11	369.16
कुल	**3,728.64**	**20,572.34**	**3,980.69**	**20,048.23**	**3,203.81**	**21,620.04**	**3,349.86**	**15,827.60**	**4,116.51**	**7,389.14**

अनुबंध

PMFBYऔर RWBCIS: महाराष्ट्र में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक दिनांक 30.06.2026 की स्थिति अनुसार बीमा कंपनीवार किसानों का हिस्सा और भुगतान किए गए दावे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बीमा कंपनी	किसान का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
		(रुपये करोड़ में)	
महाराष्ट्र	एआईसी	1,270.63	10,234.63
	बजाज जनरल	185.80	943.59
	भारती एएक्सए*	66.62	481.64
	चोला एमएस	0.36	640.16
	जेनरली सेंट्रल	22.98	51.96
	एचडीएफसी एर्गो	306.62	3,047.80
	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	286.69	2,010.72
	आईएफएफसीओ टोक्यो	93.60	736.53
	इंडसइंड जनरल	300.52	2,356.50
	ओरिएंटल	0.95	4,233.76
	एसबीआई जनरल	0.27	625.82
	युनाइटेड इंडिया	77.58	1,440.13
	यूनिवर्सल सोम्पो	44.95	734.86
कुल (एमएएच)		**2,657.57**	**27,538.13**

* आईसीआईसीआई-लॉम्बार्ड में विलय हो गया।
